



दिनांक 31.01.2021

प्रेस विज्ञप्ति-31/21

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।

जनपद गोरखपुर/थाना चिलुआताल

- पुलिस कार्यवाही के दौरान 08 अभियुक्त गिरफ्तार
 - लूट की घटना का अनावरण
 - लूट का 01 लाख 42 हजार रुपये नगद
 - 01 अवैध पिस्टल 03 जीवित कारतूस
- 03 अवैध तमंचा 315 बोर, 01 जीवित, 02 खोखा कारतूस
 - 01 अवैध तमंचा 12 बोर 02 जीवित कारतूस
 - घटना में प्रयुक्त 01 स्विट डिजायर कार
 - 03 मोटर साइकिल, 01 टैम्पो आदि बरामद

दिनांक 31.01.2021 को थाना चिलुआताल, थाना पीपीगंज व क्राइम ब्रान्च की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के अधार पर सिक्टौर रेंलवे क्रासिंग के पास पुलिस कार्यवाही के दौरान 08 अभियुक्तों 1- मनोज, 2- आकाश, 3- मनोज, 4- सर्वेश, 5- मनोज उर्फ टमाटर, 6- सुनील, 7- सन्नी, 8- विकास को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से लूट का 01 लाख 42 हजार रुपये नगद, 01 अवैध पिस्टल 03 जीवित कारतूस, 03 अवैध तमंचा 315 बोर, 01 जीवित, 02 खोखा कारतूस, 01 अवैध तमंचा 12 बोर 02 जीवित कारतूस, घटना में प्रयुक्त 01 स्विट डिजायर कार, 03 मोटर साइकिल, 01 टैम्पो आदि बरामद हुए।

उल्लेखनीय है कि दिनांक 09-01-2021 को थाना रामगढ़ ताल क्षेत्रान्तर्गत अज्ञात बदमाशों द्वारा लूट की घटना कारित की गई थी, जिसके सम्बन्ध में अभियोग पंजीकृत कर घटना के अनावरण के प्रयास किये जा रहे थे, अभियुक्तों से बरामद रूपये लूट की घटना से सम्बन्धित है। गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म के अपराधी हैं, जिनके विरुद्ध

जनपद गोरखपुर के विभिन्न थानो में डकैती, लूट, हत्या का प्रयास, आदि के कई अभियोग पंजीकृत हैं।

इस सम्बन्ध में थाना चिलुआताल पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

- 1- मनोज पुत्र दूधनाथ निवासी मोहरीपुर थाना चिलुआताल जनपद गोरखपुर।
- 2- आकाश निवासी मोहरीपुर थाना चिलुआताल जनपद गोरखपुर।
- 3- मनोज पुत्र देवमुनि निवासी मोहरीपुर थाना चिलुआताल जनपद गोरखपुर।
- 4- सर्वेश निवासी देईपार थाना गीड़ा जनपद गोरखपुर।
- 5- मनोज उर्फ टमाटर निवासी केवटहिया थाना चिलुआताल जनपद गोरखपुर।
- 6- सुनील निवासी मोहरीपुर थाना चिलुआताल जनपद गोरखपुर।
- 7- सन्नी निवासी मिर्जापुर पंचपेड़वा थाना गोरखनाथ जनपद गोरखपुर।
- 8- विकास निवासी सठौली थाना बेलाघाट जनपद गोरखपुर।

बरामदगी

- 1- लूट का 01 लाख 42 हजार रूपये नगद
- 2- 01 अवैध पिस्टल 03 जीवित कारतूस
- 3- 03 अवैध तमंचा 315 बोर, 01 जीवित, 02 खोखा कारतूस
- 4- 01 अवैध तमंचा 12 बोर 02 जीवित कारतूस
- 5- घटना में प्रयुक्त 01 स्विट डिजायर कार
- 6- 03 मोटर साइकिल
- 7- 01 टैम्पो आदि

जनपद बदायूँ/थाना बिल्सी

- पुलिस कार्यवाही में 02 अभियुक्त गिरफ्तार
 - लूट की घटना का अनावरण
 - लूट के 02 लाख 50 हजार रुपये नगद
 - लूट के लगभग 02 लाख रुपये कीमत के सोने, चाँदी के आभूषण
- 01 अवैध तमंचा 315 बोर, 02 जीवित, 02 खोखा कारतूस आदि बरामद

दिनांक 30-01-2021 को थाना बिल्सी पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर थाना बिल्सी क्षेत्र जंगल से पुलिस कार्यवाही के दौरान 02 अभियुक्तों 1-विकास, 2-आलम को गिरफ्तार कर लूट की घटना का अनावरण किया गया। मौके से 02 अन्य बदमाश फरार हो गये, जिसकी गिरफ्तारी के प्रयास किये जा रहे हैं। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे से लूट के 02 लाख 50 हजार रुपये नगद, लूट के लगभग 02 लाख रुपये कीमत के सोने, चाँदी के आभूषण (07 चूड़ी, 01 चैन, 01 अंगूठी सोने की, 02 सिक्का चाँदी का), 01 अवैध तमंचा 315 बोर, 02 जीवित, 02 खोखा कारतूस आदि बरामद हुए।

उल्लेखनीय है कि दिनांक 30.01.2021 को थाना बिल्सी क्षेत्रान्तर्गत अज्ञात बदमाशों द्वारा लूट की घटना कारित की गई थी, जिसके सम्बन्ध में थाना बिल्सी पर मु0अ0सं0 34/2021 धारा 394 भादवि का अभियोग पंजीकृत कर घटना के अनावरण के प्रयास किये जा रहे थे। गिरफ्तार अभियुक्तों से बरामद रुपये व जेवरात उक्त घटना से सम्बन्धित है।

इस सम्बन्ध में थाना बिल्सी पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

- 1- विकास निवासी कस्बा व थाना बिल्सी जनपद बदायूँ।
- 2- आलम निवासी कस्बा व थाना बिल्सी जनपद बदायूँ।

बरामदगी

- 1— लूट के 02 लाख 50 हजार रुपये नगद ।
- 2— लूट के लगभग 02 लाख रुपये कीमत के सोने, चाँदी के आभूषण (07 चूड़ी, 01 चैन, 01 अंगूठी सोने की, 02 सिक्का चाँदी का)
- 3— 01 अवैध तमंचा 315 बोर, 02 जीवित, 02 खोखा कारतूस आदि

जनपद देवरिया/थाना कोतवाली

- 02 अभियुक्त गिरफ्तार
- लगभग 25 लाख रुपये कीमत के 2 कुन्तल 25 कि०ग्रा० अवैध गांजा
- 01 बोलेरो वाहन बरामद

दिनांक 30.01.2021 को थाना कोतवाली व एनसीबी लखनऊ की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर सोनूघाट चौराहे के पास से चेकिंग के दौरान 02 अभियुक्तों 1— धर्मेन्द्र, 2— रफीक को गिरफ्तार किया गया, गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से 02 कुन्तल 25 कि०ग्रा० अवैध गांजा, व 01 बोलेरो वाहन बरामद हुआ।

इस संबंध में थाना कोतवाली पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

- 1— धर्मेन्द्र निवासी खैराज थाना तरकुलवा जनपद देवरिया।
- 2— रफीक निवासी सबया थाना कसया जनपद कुशीनगर।

बरामदगी

- 1— लगभग 25 लाख रुपये कीमत के 2 कुन्तल 25 कि०ग्रा० अवैध गांजा।
- 2— 01 बोलेरो वाहन

जनपद बागपत/थाना सिंघावली अहीर

- 25 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित अभियुक्त गिरफ्तार
 - 01 अवैध तमंचा 315 बोर 02 जीवित कारतूस
 - 01 मोटर साइकिल अपाची बिना नम्बर आदि बरामद

दिनांक 30-01-2021 की रात्रि थाना सिंघावली अहीर पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर ग्राम सिंघावली अहीर पुलिया से पुरस्कार घोषित अभियुक्त इंतजार को गिरफ्तार किया गया, गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से 01 अवैध तमंचा 315 बोर 02 जीवित कारतूस, 01 मोटर साइकिल अपाची बिना नम्बर आदि बरामद हुई।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त थाना सिंघावली अहीर पर पंजीकृत मु0अ0सं0 21/2021 धारा 307 भादवि में वांछित चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी हेतु जनपद स्तर से 25 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित था।

इस सम्बन्ध में थाना सिंघावली अहीर पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1- इंतजार निवासी ग्राम व थाना सिंघावली अहीर जनपद बागपत।

बरामदगी

1- 01 अवैध तमंचा 315 बोर 02 जीवित कारतूस

2- 01 मोटर साइकिल अपाची बिना नम्बर आदि

जनपद चित्रकुट/थाना पहाड़ी

- पुलिस कार्यवाही में 01 अभियुक्त गिरफ्तार
 - 01 अवैध तमंचा 03 जीवित, 01 खोखा कारतूस 315 बोर बरामद

दिनांक 30-01-2021 को थाना पहाड़ी पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर सेमराड़ी के पास घेराबन्दी की गई तो बदमाश ने पुलिस टीम पर जान से मारने की

नियत से फायरिंग कर दी, पुलिस टीम द्वारा की गई आत्मरक्षार्थ कार्यवाही में टाप-10 हिस्ट्रीशीटर झल्लर उर्फ शिवभवन घायल हो गया, जिसे मौके से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के कब्जे से 01 अवैध तमंचा 03 जीवित, 01 खोखा कारतूस 315 बोर बरामद हुआ। घायल को उपचार हेतु अस्पताल भेजा गया।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त टाप-10 हिस्ट्रीशीटर अपराधी है, जिसके विरुद्ध थाना पहाड़ी पर लगभग 01 दर्जन से अधिक अभियोग पंजीकृत है।

इस सम्बन्ध में थाना पहाड़ी पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1— झल्लर उर्फ शिवभवन निवासी हर्षा थाना पहाड़ी जनपद चित्रकुट।

बरामदगी

1— 01 अवैध तमंचा 03 जीवित, 01 खोखा कारतूस 315 बोर।

जनपद शामली/थाना कैराना

- 03 शराब तस्कर गिरफ्तार
- लगभग 03 लाख रुपये कीमत की 50 पेटी अवैध शराब
 - 40 हजार 840 रुपये नगद,
 - 01 चार पहिया वाहन आदि बरामद

दिनांक 31.01.2021 को थाना कैराना पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर चेकिंग के दौरान यमुना ब्रिज से 03 शराब तस्कर 1— राजू, 2— मनोज, 3— भूप को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे से लगभग 03 लाख रुपये कीमत की 50 पेटी अवैध शराब, 40 हजार 840 रुपये नगद, 01 चार पहिया वाहन आदि बरामद हुई।

इस संबंध में थाना कैराना पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

- 1- राजू निवासी आनन्दपुरी ईदगाह रोड थाना रेलवे रोड़ जनपद मेरठ ।
- 2- मनोज निवासी शोभापुर थाना कंकरखेड़ा जनपद मेरठ ।
- 3- भूप निवासी शोभापुर थाना कंकरखेड़ा जनपद मेरठ ।

बरामदगी

- 1- लगभग 03 लाख रूपये कीमत की 50 पेटी अवैध शराब
- 2- 40 हजार 840 रूपये नगद,
- 3- 01 चार पहिया वाहन आदि

जनपद सम्मल/थाना चन्दौसी

- 10 हजार रु0 का पुरस्कार घोषित अपराधी गिरफ्तार,
- 01 अवैध तमंचा 315 बोर, 02 जीवित कारतूस बरामद

दिनांक 30.01.2021 को थाना चन्दौसी पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर पतरौआ जाने वाले रास्ते गैस गोदाम रोड़ से पुरस्कार घोषित अपराधी रक्षपाल को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से 01 अवैध तमंचा 315 बोर, 02 जीवित कारतूस, बरामद हुये।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त थाना चन्दौसी पर पंजीकृत मु0अ0सं0-458/2020 धारा 3(1) गैंगेस्टर एक्ट में वांछित चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी हेतु जनपद स्तर से 10 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित था।

इस संबंध में थाना चन्दौसी पुलिस द्वारा अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

- 1- रक्षपाल निवासी अजीमाबाद थाना बहजोई जनपद सम्मल ।

बरामदगी-

- 1- 01 अवैध तमंचा 315 बोर, 02 जीवित कारतूस ।

- जनपद अमेठी /थाना पीपरपुर (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप अभियुक्त को सश्रम आजीवन कारावास व 28 हजार रूपए अर्थदण्ड की सजा)

जनपद अमेठी पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा० न्यायालय ए०एस०जे० प्रथम सुल्तानपुर द्वारा थाना पीपरपुर पर पंजीकृत अभियोग अन्तर्गत धारा 302/394/411 भादवि में अभियुक्त रिंशू उर्फ प्रतीक सिंह को सश्रम आजीवन कारावास व 28 हजार रूपए अर्थदण्ड की सजा से दण्डित किया गया।
